ए.

डी. स्वामी

वी.

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस।

(2018 की सिविल अपील संख्या 3132) 22 सितंबर, 2022

बी.

[इंदिरा बनर्जी और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010:धारा 22-पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006-पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी (ई. सी.)-प्रत्यर्थी सं. 3 ने प्रत्यर्थी सं.1- एक सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए सहमति के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड-प्रत्यर्थी सं।1 सहमति दी गई-इसके बाद, 2006 की अधिसूचना की संशोधित प्रविष्टि 7 (डी. ए.) के संदर्भ में, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को पर्यावरण और वन मंत्रालय-एम. ओ. ई. एफ. से ई. सी. प्राप्त करने की आवश्यकता थी-प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की मांग करने वाले ग्रामीणों द्वारा प्रतिनिधित्व-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को नोटिस जारी किए, जिसमें उसे प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया-उसके अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा निर्देश। 1 कि ईसी के साथ सहमति के लिए आवेदन-प्रत्यर्थी संख्या 3 ने सहमति के लिए अपना आवेदन फिर से प्रस्तुत किया जिसे पहले बदल दिया गया था-प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपनी सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को संचालित करने के लिए सहमति प्रदान की-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को दी गई सहमति को चुनौती दी।3 और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा संचालित सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को 2006 की अधिसूचना के प्रावधानों के कथित गैर-अनुपालन के आधार पर बंद करने का निर्देश देने की मांग की, जैसा कि संशोधित किया गया था-एनजीटी द्वारा आवेदन को खारिज करना-इस बीच, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें परियोजना प्रस्तावकों के लिए पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान प्रदान किया गया था, जिन्होंने ईपी अधिनियम/ईपी नियमों या अधिसूचना के तहत ईसी प्राप्त किए बिना एक परियोजना शुरू की, जारी रखी या पूरी की थी-अपील पर कहा गया:ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता गैर-परक्राम्य है-हालाँकि, ईपी अधिनियम पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को प्रतिबंधित नहीं करता है-पूर्व पोस्ट फैक्टो पर्यावरण मंजूरी आमतौर पर नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

547

548 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए-जहां पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार करने के प्रतिकूल परिणाम पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं, और अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान आवश्यक प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, तो पूर्व कार्योत्तर अनुमोदन दिया जाना चाहिए-एक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का संचालन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के हित में है-केवल पूर्व पर्यावरण मंजूरी के अभाव के आधार पर सुविधा को बंद करना सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा-इस प्रकार, एनजीटी-जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974-वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

बी.

सी.

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा,

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** एस**.** ओ**.** पी**.** को **7** जुलाई **2021** के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा तैयार किया गया था।एस**.** ओ**.** पी**.** के संदर्भ में**,** उल्लंघन के मामलों में ई**.** सी**.** के अनुदान के प्रस्ताव पर गुण**-**दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए**,** संभावित प्रभाव के साथ**,** आनुपातिकता के सिद्धांतों और उस सिद्धांत को लागू करना जो प्रदूषक भुगतान करता है और उपचारात्मक उपायों की लागत के लिए उत्तरदायी है।**[**अनुच्छेद **31** और **32] [559-**सी**.** डी**.]** किसी निर्णय में शब्दों और वाक्यांशों और**/**या वाक्यों को क़ानून के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है**,** और वह भी संदर्भ से बाहर।डिवीजन बेंच की टिप्पणी कि एक बार की छूट की अनुमति थी**,** को इस निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि छूट एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है।यदि किसी अधिसूचना और**/**या आदेश में संशोधन या संशोधन या ढील

देने की शक्ति मौजूद है, तो अधिसूचना और/या आदेश में जितनी बार आवश्यक हो, संशोधन और/या संशोधन किया जा सकता है।[पैरा **36] [562-**डी-ई]

डी.

ई.

एफ.

1.3 मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ टिप्पणियों पर भरोसा करके उक्त कार्यालय ज्ञापन पर रोक लगाने में गलती कर गई

अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय द्वारा किया गया

एक परिपत्र का संदर्भ जो **1994** की वैधानिक पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के विपरीत था।उच्च न्यायालय का ध्यान शायद इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया कि **7** जुलाई **2021** की अधिसूचना **2017** की वैधानिक अधिसूचना के अनुसरण में थी जो वैध थी।[पैरा **37] [562-**एफ-एच] ए

जी.

एच.

549

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस।

1.4 पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं।साथ ही ई. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना के संदर्भ में पूर्व कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन और/या तकनीकी अनियमितताओं को हटाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, खानों के संचालन को रोकने, कारखानों और संयंत्रों को चलाने के परिणामों से अनजान।[पैरा **40] [564-**जी-एच]

बी.

1.5 ई. पी. अधिनियम पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है।कानून के अनुसार, नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं, वहां पूर्व कार्योत्तर ई. सी. का अनुदान अनुज्ञेय नहीं है।यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।[पैरा **41] [564-**ए-बी]

सी.

डी.

1.6 ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।एक इकाई को स्थापित किया जा सकता है या आवश्यक पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के अधीन विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है।**ई. सी.** पर्यावरण के दृष्टिकोण से इकाई स्थापित करने के लिए स्थल की उपयुक्तता और पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों के अस्तित्व की शर्त पर प्रदान किया जाता है।भावी पीढ़ियों की रक्षा करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए**,** यह अनिवार्य है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और पर्यावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।**[**पैरा **46] [567-**बी**-**डी**]**

ई.

एफ.

1.7 कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी आमतौर पर नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए**,** लेकिन सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए।जहां कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार करने के प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं**,** और संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा आवश्यक प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है**,** तो कार्योत्तर अनुमोदन कानून के अनुसार**,** सख्त अनुपालन में दिया जाना चाहिए।

जी.

एच.

ए.

लागू नियम**,** विनियम और**/**या अधिसूचनाएँ।किसी मामले में**,** विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत उससे वसूल की जा सकती है।**[**पैरा **47] [567-**डी**-**एफ**]**

1.8 **ई. पी.** अधिनियम पूर्व कार्योत्तर **ई. सी.** को प्रतिबंधित नहीं करता है। कुछ छूट और यहां तक कि नियमों**,** विनियमों**,** अधिसूचनाओं और**/**या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान**,** उपयुक्त मामलों में**,** जहां परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन में हैं**,** अनुज्ञेय नहीं है।यह न्यायालय अर्थव्यवस्था या इकाइयों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और उनके अस्तित्व के लिए इकाइयों पर निर्भर अन्य लोगों की

आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।**[**पैरा **48] [567-**एफ**-**एच**]**

बी.

सी.

1.9 पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए**,** और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं।साथ ही संचालन को रोकने के परिणामों की परवाह किए बिना**,** पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी और/या अनुमोदन को पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **49] [568-**ए**-**बी**]**

डी.

1.10 एनजीटी ने सही पाया कि जब अपीलार्थी की जैव**-**चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को संचालित करने के लिए आवश्यक सहमति के साथ संचालित किया जा रहा था**,** तो इसे पूर्व पर्यावरण मंजूरी के अभाव के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता था।यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जैव**-**चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का संचालन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के हित में है।केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव के आधार पर सुविधा को बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।अपील में एन**.** जी**.** टी**.** के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जैसा कि के**.** एस**.** पी**.** सी**.** बी**.** और प्रत्यर्थी संख्या **3** द्वारा सही तर्क दिया गया है।देरी से अपील पर रोक लगा दी जाती है।किसी भी मामले में**,** अपील कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाती है।**[**पैरा **50] [568-**बी**-**डी**]**

ई.

एफ.

जी.

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ **2021** एससीसी

ऑनलाइन एससी **1247-**पर भरोसा किया गया।

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड बनामरोहित प्रजापति और

अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 347-विशिष्ट।

एच.

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस।

ए.

श्री सिद्धबली स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर राज्य

प्रदेश और अन्य (2011) 3 एससीसी 193:[2011] 3 एससीआर

134; नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ

(2000) 10 एससीसी 664:[2000] 4 पूरक।एससीआर 94; फातिमा

v. भारत संघ**);** पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ बनाम भारत संघ **2017** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन मैड **7056;** पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और एन**.** आर**.** वी**.**दस्तक एनजीओ

बी.

और ओआरएस। 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 362; लाफार्ज उमियम

माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ **(2011) 7** एससीसी

338 :[2011] 7 एस**.** सी**.** आर**. 954-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

सी.

[2011] 3 एससीआर **134**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2000] 4 पूरक।एससीआर **94**

संदर्भित किया गया है

पैरा **26**

[2011] 7 एससीआर **954**

संदर्भित किया गया है

पैरा **42**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2018 की सिविल अपील संख्या 3132।

डी.

आवेदन No.169/2016 (SZ) में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के दिनांक 10.05.2017 के निर्णय और आदेश से।मेसर्स नुली एंड नुली के लिए आनंद संजय एम. नुली, सूरज कौशिक, आगम शर्मा, धर्म सिंह, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

एस. जे. अमित, पुरुषोत्तम शर्मा त्रिपाठी, मुकेश कुमार सिंह, सुश्री मणि व्यास, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

एफ.

यह अपील, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 22 के तहत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई द्वारा 10 मई 2017 को पारित एक अंतिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 14 सहपठित धारा 18 (1) के तहत दायर 2016 (एसजेड) के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें अपीलार्थी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के प्रावधानों का कथित रूप से पालन न करने के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा संचालित सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को बंद करने के निर्देश के लिए अनुरोध किया था, जिसे इसके बाद 17 अप्रैल 2015 को संशोधित "2006 ईआईए अधिसूचना" के रूप में संदर्भित किया गया था।

जी.

एच.

ए.

2. इस बीच, 12 अप्रैल 2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित 10 अप्रैल 2001 की एस. ओ. 327 (ई) होने की अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (ई. पी. अधिनियम) के तहत निहित शक्तियों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों के अध्यक्षों को किसी भी उद्योग या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण को नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सौंप दिया है।

बी.

3. 25 फरवरी 2012 को या उसके आसपास, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रत्यर्थी संख्या 1, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जिसे इसके बाद "के. एस. पी. सी. बी". के रूप में संदर्भित किया गया है) को गुजजेगौडनपुरा गांव, जयपुरा होबली, मैसूर तालुक और जिले में भूमि धारक सर्वेक्षण संख्या 82 और 38/2 पर एक सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए सहमति के लिए आवेदन किया।

सी.

4. 24 नवंबर 2012 के एक पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 के. एस. पी. सी. बी. ने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के संग्रह, ग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान के लिए जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को सहमति प्रदान की।उक्त सहमति पाँच साल की अवधि के लिए वैध थी।

डी.

5. ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कंसल्टेंट, जो मैसूर में सर्वेक्षण No.25 में एक सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का संचालन कर रहे थे और चार जिलों से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट एकत्र कर रहे थे, प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा स्थापित सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के कारण हासन जिले से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट एकत्र नहीं कर सके।

ई.

6. मैसर्स श्री कंसल्टेंट ने कर्नाटक राज्य पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, बैंगलोर के समक्ष सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को दी गई सहमति को चुनौती देते हुए 2012 की आईडी 1 और 49 वाली अपील दायर की।कर्नाटक राज्य पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, बैंगलोर ने सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को सहमति देने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। हालाँकि, अंततः अपील को 20 अप्रैल 2013 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

एफ.

जी.

7. मैसर्स श्री कंसल्टेंट ने कर्नाटक राज्य ए द्वारा पारित 20 अप्रैल 2013 के सामान्य फैसले और आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के समक्ष 2013 की अपील संख्या 46-47 दायर की।

एच.

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, बैंगलोर 2012 की अपील Nos.48-49 में।

8. 28 नवंबर 2013 के एक फैसले और आदेश द्वारा, नई दिल्ली में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने कहा कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्रों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्राप्त करने की आवश्यकता है, जिसे 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना की प्रविष्टि 7 (डी) के संदर्भ में "एमओईएफ एंड सीसी" के रूप में संदर्भित किया गया है।राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं को चलाने वाले पक्षों को ईसी के लिए एमओईएफ एंड सीसी में आवेदन करने का भी निर्देश दिया था।

बी.

सी.

9. 26 फरवरी 2014 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।14 जुलाई 2014 को, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई ने मैसर्स श्री कंसलटेंट द्वारा दायर 2013 की अपील संख्या 46-47 को खारिज करते हुए एक निर्णय और आदेश पारित किया और कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को सही सहमति दी थी।

डी.

10. 4 मार्च 2015 को, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रासंगिक जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण अधिनियमों के प्रावधानों के तहत सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सुविधा के संचालन के लिए सहमति देने के लिए आवेदन किया।11. 17 अप्रैल 2015 को, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना में संशोधन किया, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा 2012 की अपील संख्या 63 में पारित 28 नवंबर 2013 के फैसले को देखते हुए किया गया था।संशोधन द्वारा प्रविष्टि 7 (डी) को अनुसूची में प्रविष्टि 7 (डी) के बाद जोड़ा गया था।प्रविष्टि 7 (डी. ए.) में प्रावधान किया गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से ईसी प्राप्त करने के लिए सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधाओं की आवश्यकता होगी।

ई.

एफ.

12. ऐसा प्रतीत होता है कि 13 जुलाई, 2015 को मैसूर के जयपुरा होबली में गुजेगौडनपुरा, मनदल्ली, हरोहल्ली, चुनचुनरायहुंडी, कल्लाहल्ली, अरिनाकेरे, महादेवपुरा के ग्रामीणों ने प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा की स्थापना पर प्रतिबंध लगाने के आदेश की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 को ज्ञापन दिया था।

जी.

13. इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 की सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया।

एच.

14. 1 दिसंबर 2015 को, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, कर्नाटक (एस. ई. आई. ए. ए.) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 को सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा और 2006 ई. आई. ए. अधिसूचना और उसमें संशोधनों को आकर्षित करने वाली अन्य परियोजनाओं के संचालन के लिए सहमति जारी करने के निर्देश जारी किए।

बी.

15. 28 दिसंबर 2015 के अपने पत्र द्वारा, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने के. एस. पी. सी. बी. के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 2006 ई. आई. ए. अधिसूचना और उसमें संशोधनों को आकर्षित करने वाली परियोजनाओं को स्थापित करने या संचालित करने के लिए सहमति के लिए आवेदन के. एस. पी. सी. बी. द्वारा केवल तभी प्राप्त किया जाना था जब ई. सी. आवेदन के साथ संलग्न था।

सी.

16. 19 जनवरी 2016 को, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालन के लिए सहमति के लिए अपना आवेदन फिर से प्रस्तुत किया, जिसे पहले प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा वापस कर दिया गया था।11 फरवरी 2016 को, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मैसूर जिले के जयपुरा होबली के गुज्रेगौडनपुरा गांव में अपनी सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 को सहमति प्रदान की।उक्त सहमति 1 जुलाई 2015 से 30 जून 2016 तक की अवधि के लिए वैध थी।

डी.

17. अपीलार्थी ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 28 के तहत कर्नाटक राज्य पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 2016 की अपील संख्या 3 दायर की, जिसमें सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा के संचालन के लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 की सहमति को चुनौती दी गई।इसके तुरंत बाद एमओईएफ एंड सीसी ने ईपी अधिनियम की धारा 6,8 और 25 के तहत जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 1998 को संशोधित किया।

ई.

एफ.

18. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा पारित 11 फरवरी 2016 के सहमति आदेश के विरुद्ध कर्नाटक राज्य पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर 2016 की अपील संख्या 3 को अपीलार्थी द्वारा वापस ले लिया गया क्योंकि 30 जून 2016 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को दी गई सहमति की अवधि समाप्त होने के कारण उक्त अपील निष्फल हो गई थी।

जी.

19. 17 अगस्त 2016 के एक आदेश द्वारा, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई ने निर्देश दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष लंबित, संचालन के लिए सहमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन को न्यायाधिकरण द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन कानून के अनुसार संसाधित किया जा सकता है।

एच.

555

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

20. 17 अगस्त 2016 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 3 के पक्ष में सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को संचालित करने के लिए सहमति आदेश को नवीनीकृत किया जो 17 अगस्त 2016 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए वैध था। 21.ई. पी. नियमों के नियम 5 (3) (डी) सहपठित ई. पी. अधिनियम की धारा 3 (1) और धारा 3 (2) (वी) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2017 को एस. ओ. 804 (ई) के रूप में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ई. पी. अधिनियम/ई. पी. नियमों या उसके तहत जारी पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के तहत ई. सी. प्राप्त किए बिना किसी परियोजना को शुरू करने, जारी रखने या पूरा करने वाले परियोजना

प्रस्तावकों के लिए पूर्व कार्योत्तर ई. सी. अनुदान का प्रावधान है।उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3,4 और 5 को नीचे पढ़ा जा सकता हैः

बी.

सी.

“(3) उल्लंघन के मामलों में, संबंधित राज्य या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के प्रावधानों के तहत परियोजना प्रस्तावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा, परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने तक संचालन या अधिभोग प्रमाण पत्र के लिए कोई सहमति जारी नहीं की जाएगी।

डी.

(4) उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत गठित संबंधित क्षेत्र की विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों द्वारा किया जाएगा, ताकि यह आकलन किया जा सके कि परियोजना का निर्माण एक ऐसे स्थान पर किया गया है जो प्रचलित कानूनों के तहत अनुमेय है और विस्तार किया गया है जिसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन के तहत स्थायी रूप से चलाया जा सकता है; और यदि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का निष्कर्ष नकारात्मक है, तो कानून के तहत अन्य कार्यों के साथ परियोजना को बंद करने की सिफारिश की जाएगी।

ई.

एफ.

(5) यदि उपरोक्त उप-पैरा (4) पर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष सकारात्मक हैं, तो इस श्रेणी के तहत परियोजनाओं को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए उपयुक्त संदर्भ शर्तें निर्धारित की जाएंगी।इसके अलावा, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति पारिस्थितिक क्षति, उपचार योजना और प्राकृतिक और प्राकृतिक नुकसान के आकलन पर परियोजना के लिए एक विशिष्ट संदर्भ शर्तें निर्धारित करेगी।

जी.

एच.

सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना और इसे मान्यता प्राप्त सलाहकारों द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट में एक स्वतंत्र अध्याय के रूप में तैयार किया जाएगा।पारिस्थितिकीय क्षति के आकलन, उपचार योजना तैयार करने और प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन संवर्धन योजना के लिए डेटा का संग्रह और विश्लेषण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत विधिवत

अधिसूचित पर्यावरण प्रयोगशाला या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रयोगशाला या पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान की परिषद की प्रयोगशाला द्वारा किया जाएगा।"

बी.

सी.

22. 2017 की अधिसूचना केंद्र सरकार द्वारा ई. पी. अधिनियम की धारा 3 (1) और 3 (2) (v) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए ई. पी. नियमों के नियम 5 (3) (डी) के सहपठित उसी तरह जारी की गई एक वैध वैधानिक अधिसूचना है जैसे 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना और 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना।

डी.

23. सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 में प्रावधान है कि जहां कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, उस शक्ति में उसी तरह से प्रयोग करने योग्य शक्ति शामिल है, और इसी तरह की मंजूरी और शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, तो इस तरह जारी की गई किसी भी अधिसूचना, आदेश, नियम या उपनियम में जोड़ने, संशोधन करने, बदलने या रद्द करने की शक्ति शामिल है। प्राधिकरण, जिसके पास 27 जनवरी 1994 और 14 सितंबर 2006 को अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी, के पास निस्संदेह उन अधिसूचनाओं को उसी तरह से रद्द करने या संशोधित करने या संशोधित करने की शक्ति थी और अभी भी है।जैसा कि इस न्यायालय ने श्री सिद्धबली में कहा था

ई.

स्टील्स लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **1,** पावर

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के तहत समय-समय पर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचनाओं, आदेशों, नियमों या उपनियमों में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

एफ.

24. पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ ने 14 मार्च 2017 की उक्त अधिसूचना पर आक्षेप करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय में 2017 की डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।13 अक्टूबर 2017 के एक फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने उक्त अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि विवादित अधिसूचना पर्यावरण की शुद्धता को संरक्षित करने की आवश्यकता से समझौता नहीं करती है।

जी.

1 (2011) 3 एससीसी 193 ए

एच.

557

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

25. एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. ने 23 मार्च 2020 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र के असाधारण भाग II में विधिवत प्रकाशित किया गया था। ई. सी. के संबंध में अधिसूचना के उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए ई. पी. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) की उप-धारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव किया गया था कि उल्लंघन के मामलों का मूल्यांकन मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या परियोजना का निर्माण या संचालन किसी ऐसे स्थान पर किया गया था जो प्रचलित कानूनों के तहत अनुमेय था और जिसे पर्याप्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन पर स्थायी रूप से चलाया जा सकता था।यदि मूल्यांकन समिति के निष्कर्ष नकारात्मक थे तो बंद करने की सिफारिश की जानी थी।यदि मूल्यांकन समिति ने पाया कि ऐसी इकाई पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन पर स्थायी रूप से चल रही है, तो इकाई को उचित संदर्भ शर्तें (टीओआर) निर्धारित की जाएंगी, जिसके बाद ईसी के अनुदान की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

बी.

सी.

26. के. एस. पी. सी. बी. ने इस अपील का विरोध किया है। के. एस. पी. सी. बी. की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपील दायर करने में 62 दिनों की देरी के आधार पर अपील खारिज की जा सकती है।देरी के कारण, यह प्रस्तुत किया जाता है, अत्यधिक देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं बनाता है।इसके बाद यह संतोषजनक है कि इस अपील में शामिल सामान्य महत्व के कानून का कोई ठोस सवाल नहीं है।अपील को उस आधार पर खारिज किया जा सकता है।यह भी तर्क दिया जाता है कि अपील तथ्यों के दमन से ग्रस्त है।के. एस. पी. सी. बी. की ओर से यह तर्क दिया जाता है कि ई. आई. ए. अधिसूचना में 2015 का 17 अप्रैल 2015 का संशोधन नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ 2 में निर्धारित कानून के आलोक में संभावित है।प्रत्यर्थी संख्या 3 ने 17 अप्रैल 2015 की ई. आई. ए. अधिसूचना से पहले संचालन के लिए सहमति के लिए के. एस. पी. सी. बी. को आवेदन किया था, क्योंकि 14 सितंबर 2006 के बाद लेकिन 17 अप्रैल 2015 से पहले अस्तित्व में आई परियोजनाओं के लिए किसी पूर्व ई. सी. एल. की आवश्यकता नहीं थी।

डी.

ई.

एफ.

27. 21 दिसंबर 2016 को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एमओईएफ एंड सीसी, भारत सरकार ने सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।

जी.

28. 10 मई 2017 के अंतिम निर्णय और आदेश द्वारा, जो इस अपील में आक्षेपित है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्वाचन आयोग के अभाव में बंद करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।

2 (2000) 10 एस. सी. सी. 664

एच.

29. एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा, दिनांक 7 जुलाई 2021 को एफ. नंबर 22-21/2020-1 ए III होने के कारण, एमओईएफ एंड सीसी ने 2006 ईआईए अधिसूचना के तहत उल्लंघन के मामलों की पहचान और उनसे निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

30. उक्त कार्यालय ज्ञापन, अन्य बातों के साथ, पढ़ता हैः

बी.

"मंत्रालय ने 14 मार्च, 2017 को एक अधिसूचना संख्या S.O.804 (E) जारी की थी, जिसमें उन परियोजनाओं या गतिविधियों के संबंध में संदर्भ की शर्तों और पर्यावरण मंजूरी देने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया था, जिन्होंने ई. आई. ए. अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व ईसी प्राप्त किए बिना साइट पर काम शुरू कर दिया है और/या पूर्व ईसी की सीमा से आगे उत्पादन का विस्तार किया है या उत्पाद मिश्रण को बदल दिया है।

सी.

2. यह अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से छह महीने यानी 14.03.2017 से 13.09.2017 तक लागू थी और आगे 14.03.2018 से 13.04.2018 तक न्यायालय के निर्देश पर आधारित थी।3. माननीय एन. जी. टी. ने दस्तक एन. जी. ओ. बनाम साइनोकेम

ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 2020 के मूल आवेदन No.287 में और विनीत नगर बनाम केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और अन्य में 2020 के मूल आवेदन संख्या 298 में उसी विषय से संबंधित आवेदनों में, दिनांक 03.06.2021 के आदेश में कहा गया है कि "(.) पिछले उल्लंघनों के लिए, संबंधित अधिकारी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं।

डी.

ई.

4. इसके अलावा, तानाजी बी. गैंबियर बनाम के मामले में ओ. ए. सं. 34/2020 डब्ल्यू. जेड. में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार और अन्य ने दिनांकित 24.05.2021 आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि "एक उचित एस. ओ. पी. रखी जाए।

एफ.

ऐसे मामलों में ईसी के अनुदान के लिए ताकि वर्तमान में पालन किए जा रहे बाध्यकारी कानून और व्यवहार में अंतराल को दूर किया जा सके।एम. ओ. ई. एफ. इस तरह के एस. ओ. पी. को देश के सभी एस. ई. आई. ए. ए. में प्रसारित करने पर भी विचार कर सकता है।

जी.

5. इसलिए, माननीय एन. जी. टी. के निर्देशों के अनुपालन में उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस. ओ. पी.) तैयार करने की आवश्यकता है।मंत्रालय को 'उल्लंघन' मामलों की विभिन्न श्रेणियों के बारे में भी पता चला है जो 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' और 'सिद्धांत ए' पर आधारित एक अनुमोदित संरचनात्मक/प्रक्रियात्मक ढांचे के अभाव में लंबित हैं

एच.

559

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

आनुपातिकता '।निस्संदेह यह महत्वपूर्ण है कि चूककर्ताओं/उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए और परियोजना या गतिविधि को बंद करने या अन्यथा करने का निर्णय तेजी से लिया जाए।

6. माननीय न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्देशों और इससे जुड़े मुद्दों के आलोक में, मंत्रालय में तदनुसार मामले की विस्तार से जांच की गई है।तदनुसार एक विस्तृत एस. ओ. पी. तैयार की गई है और यहाँ इसकी रूपरेखा तैयार की गई है।एस. ओ. पी. माननीय न्यायालयों की

टिप्पणियों/निर्णयों द्वारा भी निर्देशित है जिसमें आनुपातिकता और प्रदूषकों के भुगतान के सिद्धांतों को रेखांकित किया गया है।"

बी.

सी.

31. 7 जुलाई 2021 के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा तैयार की गई एस. ओ. पी. अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले सहित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं को संदर्भित करती है और उन्हें प्रभावी बनाती है।

बनाम रोहित प्रजापति और अन्य **3.**

32. एस. ओ. पी. के संदर्भ में, उल्लंघन के मामलों में ई. सी. के अनुदान के प्रस्ताव पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, संभावित प्रभाव के साथ, आनुपातिकता के सिद्धांतों और उस सिद्धांत को लागू करना जो प्रदूषक भुगतान करता है और उपचारात्मक उपायों की लागत के लिए उत्तरदायी है।

डी.

33. एक जनहित याचिका डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) 2021 का सं. 11757 (फातिमा बनाम भारत संघ) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष 7 जुलाई 2021 के उक्त ज्ञापन को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।15 जुलाई 2021 के एक अंतरिम आदेश द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उक्त ज्ञापन पर रोक लगा दी।

ई.

34. मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा और

एफ.

आयोजितः-

"यह रिट याचिका प्रत्यर्थी द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 07.07.2021 की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है।

2. हमने सुना है कि रिट याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. योगेश्वरन और भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल श्री गौरी प्रत्यर्थी के लिए नोटिस स्वीकार करते हैं।

जी.

3 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 347

एच.

560 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 15 एस. सी. आर.

3. विवादित कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी गई है कि यह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना है, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के विपरीत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रत्यर्थी की शक्तियों का उल्लंघन करता है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 48-ए की व्याख्या करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

बी.

4. इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित अधिसूचना 2017 के आई. डी. 1 में इस न्यायालय की माननीय पूर्ण पीठ के समक्ष दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है, जिसमें न्यायालय ने भारत सरकार की ओर से की गई दलीलों पर ध्यान दिया कि उसमें आक्षेपित अधिसूचना केवल एक बार का उपाय है।इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी यह देखने में विफल रहा कि पूर्व-कार्योत्तर अनुमोदन की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए अलग है और यह पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के लिए अभिशाप है। 5.इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित अधिसूचना एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम रोहित प्रजापति, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 347 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों का घोर उल्लंघन है।

सी.

डी.

ई.

6. हमने दिनांक 1 के एक कार्यालय ज्ञापन को चुनौती देते हुए समान आधारों पर विचार किया, जिसमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सी. आर. जेड.) अधिसूचना 2011 के तहत कार्योत्तर मंजूरी देने के लिए एक प्रक्रिया प्रदान की गई थी, इस आधार पर कि अधिसूचना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद और पहले के निर्णयों और उपक्रमों के विपरीत है।डब्ल्यू. पी. (एम. डी.) में उक्त रिट याचिका।2021 के No.8866 को स्वीकार कर लिया गया था और 30.04.2021 के आदेश द्वारा, उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19.02.2021 पर रोक लगा दी गई है।

एफ.

जी.

7. इस रिट याचिका में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत सरकार कार्यालय ज्ञापन जारी कर सकती थी और उल्लंघनकर्ताओं से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया ला सकती थी, जो पर्यावरण प्रभाव आकलन ए के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त का पालन करने में विफल रहे।

एच.

561

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों सहपठित अधिसूचना 2006।इस मुद्दे पर विचार किया गया था

एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

(ऊपर), और यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिपत्र की प्रकृति में ऐसा कार्यालय ज्ञापन अधिकार क्षेत्र के बिना है।निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

बी.

“.....14 मई 2002 के प्रशासनिक परिपत्र द्वारा जो हासिल करने की मांग की गई है, वह 27 जनवरी 1994 की वैधानिक अधिसूचना के विपरीत है।14 मई 2002 के परिपत्र में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि यदि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी दिया जाता है तो पर्यावरण पर हानिकारक प्रभावों का ध्यान कैसे रखा जाएगा। 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना एक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी को अनिवार्य करती है।सर्कुलर 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के आवेदन में काफी संशोधन या बदलाव करता है।जब तक पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी नई परियोजना को शुरू नहीं करने या किसी मौजूदा परियोजना का विस्तार या आधुनिकीकरण नहीं करने का आदेश कमजोर हो जाता है और 14 मई 2002 के प्रशासनिक परिपत्र के जारी होने से अप्रभावी हो जाता है।यह चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि प्रशासनिक परिपत्र धारा 3 द्वारा संरक्षित उपाय नहीं है।इसलिए एन. जी. टी. पर इसकी वैधता या अधिकारिता की जांच करने के लिए कोई अधिकार क्षेत्र प्रतिबंध नहीं था।इसके अलावा, प्रशासनिक परिपत्र ई. आई. ए. अधिसूचना 1994 के विपरीत है जिसका एक वैधानिक चरित्र है।यह परिपत्र कानून की दृष्टि से अस्थिर है।”

सी.

डी.

ई.

8. उपरोक्त निर्णय के बावजूद, एक बार फिर भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन जारी करने और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों को वस्तुतः शून्य करने का मार्ग अपनाया है।

एफ.

जी.

9. माननीय प्रथम पीठ के समक्ष, पुडुचेरी पर्यावरण संरक्षण संघ द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें समान आधारों पर दिनांकित अधिसूचना को चुनौती दी गई थी और माननीय प्रथम पीठ ने दिनांकित निर्णय द्वारा भारत के विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल की दलीलें दर्ज कीं कि उक्त अधिसूचना

एच.

यह एक बार का उपाय था और तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया गया।

10. एक बार फिर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विवादित कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।इस प्रकार, हमने ऊपर जो उल्लेख किया है, उससे हमारा स्पष्ट विचार है कि याची ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है और अंतरिम रोक का आदेश होगा।"

बी.

35. यह सच है कि पुडुचेरी पर्यावरण के मामले में

प्रोटेक्शन एसोसिएशन बनाम भारत संघ **4,** मद्रास की डिवीजन बेंच

सी.

उच्च न्यायालय ने भारत संघ की ओर से की गई इस दलील पर ध्यान दिया और इसे दर्ज किया कि छूट एक बार की छूट थी।इस तरह के निवेदन को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि एक बार की छूट की अनुमति है।36. हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी निर्णय में शब्दों और वाक्यांशों और/या वाक्यों को क़ानून के तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता है, और वह भी संदर्भ से बाहर।डिवीजन बेंच की टिप्पणी कि एक बार की छूट की अनुमति थी, को इस निष्कर्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए कि छूट एक से अधिक बार नहीं दी जा सकती है।यदि किसी अधिसूचना और/या आदेश में संशोधन या संशोधन या ढील देने की शक्ति मौजूद है, तो अधिसूचना और/या आदेश में जितनी बार आवश्यक हो, संशोधन और/या संशोधन किया जा सकता है।न्यायालय में वकील द्वारा दिया गया एक बयान संबंधित प्राधिकारी

को संशोधन और/या संशोधन करने से नहीं रोकेगा बशर्ते कि ऐसे संशोधन और/या संशोधन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हों।

डी.

ई.

37. मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञापन पर रोक लगाने में गलती की

एफ.

अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा, संदर्भ में

एक परिपत्र जो 1994 की वैधानिक पर्यावरण प्रभाव अधिसूचना के विपरीत था।उच्च न्यायालय का ध्यान शायद इस तथ्य की ओर नहीं खींचा गया था कि 7 जुलाई 2021 की अधिसूचना 2017 की वैधानिक अधिसूचना के अनुसरण में थी जो वैध थी।का फैसला

जी.

अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में यह न्यायालय स्पष्ट रूप से था

विशिष्ट और 7 जुलाई 2021 के कार्यालय ज्ञापन के लिए कोई आवेदन नहीं हो सकता है जो 14 मार्च 2017 की अधिसूचना के अनुसार जारी किया गया था।

एच.

4 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 7056 ए

563

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

38. इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बनाम भारत संघ **5** में**,** यह न्यायालय

आयोजितः-

“82. सवाल यह है कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले और सैकड़ों लोगों को आजीविका प्रदान करने वाले प्रतिष्ठान को पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अपनी साइट को स्थानांतरित करने की तकनीकी अनियमितता के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए**,** प्रतिष्ठान को आवश्यक मंजूरी और अनुमति प्राप्त करके अपने संचालन को नियमित करने का अवसर दिए बिना**,** भले ही प्रतिष्ठान अन्यथा प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रहा हो**,** या प्रदूषण**,** यदि कोई हो**,** को आसानी से और प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।जवाब नकारात्मक होना चाहिए।

बी.

सी.

83. केंद्र सरकार 1986 के अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने और/या रोकने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अपनी शक्तियों के दायरे में है, जिसमें किसी परियोजना को शुरू करने से पहले पर्यावरण मंजूरी के लिए निर्देश भी शामिल हैं।पर्यावरण पर परियोजना के प्रभाव की जांच करने पर इस तरह की पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य रूप से दी जाती है। पर्यावरण मंजूरी आम तौर पर नहीं दी जानी चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं।उसी समय पूर्व

डी.

1986 के अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं के संदर्भ में कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन और/या तकनीकी अनियमितताओं को हटाने को पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है**,** जो एक चल रहे इस्पात संयंत्र के संचालन को रोकने के परिणामों से अनजान है।**84. 1986** का अधिनियम पूर्व पोस्ट फैक्टो पर्यावरण को प्रतिबंधित नहीं करता है।

ई.

सफाई।कुछ छूट और यहां तक कि नियमों, विनियम अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं, पूरी तरह से अस्वीकार्य है।यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।

एफ.

जी.

***

5 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1247

एच.

88. अधिसूचना एस. ओ. 804 (ई) दिनांक 14 मार्च, 2017 अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स (उपरोक्त) में एक मुद्दा नहीं था।यह न्यायालय 2002 के एक परिपत्र की औचित्य और/या वैधता की जांच कर रहा था जो 27 जनवरी, 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के साथ

असंगत था, जो वैधानिक थी।हालांकि पूर्व कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए।जहां कार्योत्तर अनुमोदन के प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा किसी उद्योग के संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं और संबंधित उद्योग या प्रतिष्ठान अन्यथा अपेक्षित प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, तो कार्योत्तर अनुमोदन लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के सख्त अनुरूप कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए।पूर्व पोस्ट फैक्टो

बी.

सी.

अनुमोदन को केवल दंडात्मक उपाय के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए।

विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत इससे वसूल की जा सकती है।***

डी.

96. अपीलों की अनुमति है।विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या **1** कानून के अनुसार संशोधित निर्वाचन आयोग के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर तारीख से तीन महीने के भीतर निर्णय लेगा।इस तरह के निर्णय के आने तक**,** इस्पात संयंत्र के संचालन में ईसी**,** एफसी**,** सीटीई या सीटीओ की कमी के आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

ई.

39. इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित/पुनः प्रतिपादित विधि का प्रस्ताव

एफ.

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (ऊपर) में पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम में दोहराया गया था।दस्तक एनजीओ और ओआरएस। 6.

40. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (उपरोक्त) में पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं। साथ ही ई. पी. अधिनियम के तहत अधिसूचना के संदर्भ में पूर्व कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन और/या तकनीकी अनियमितताओं को हटाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, खानों के संचालन को रोकने, कारखानों और संयंत्रों को चलाने के परिणामों से अनजान।

जी.

एच.

565

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

41. ई. पी. अधिनियम पूर्व कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी को प्रतिबंधित नहीं करता है।नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में, कानून के अनुसार, उचित मामलों में, जहां परियोजनाएं अनुपालन में हैं, या पर्यावरण मानदंडों का पालन करने के लिए बनाई जा सकती हैं, हमारे विचार में पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान अस्वीकार्य है।यदि ऐसी परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों का पालन करती हैं तो न्यायालय अर्थव्यवस्था या परियोजना में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और परियोजना पर निर्भर अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान नहीं हो सकता है।

बी.

42. लाफार्ज उमियम माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ

भारत **7,** इस न्यायालय की तीन**-**न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया**:-**

सी.

“119. समय आ गया है कि हम योग्यता समीक्षा के विपरीत न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में पर्यावरण से संबंधित मामलों में संवैधानिक "आनुपातिकता के सिद्धांत" को लागू करें।यह कहा नहीं जा सकता है कि पर्यावरण और उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से होना चाहिए जो सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांतों के अनुरूप हो, लेकिन इन इक्विटी के संतुलन के लिए नीतिगत विकल्प आवश्यक हो सकते हैं। परिस्थितियों में, अपवादों को छोड़कर, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित निर्णयों का परीक्षण न्यायिक समीक्षा के अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए।क्या सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है?क्या किसी बाहरी कारक ने निर्णय को प्रभावित किया है?क्या निर्णय सख्ती से कानून (यदि कोई हो) के तहत विधायी नीति के अनुसार है जो क्षेत्र को नियंत्रित करता है?क्या निर्णय इस अर्थ में सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप है कि निर्णयकर्ता ने उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक विचारों के आधार पर एक संतुलित निर्णय पर पहुंचा है?इस प्रकार, न्यायालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए कि एमओईएफ का निर्णय निष्पक्ष और पूरी तरह से सूचित है, सही सिद्धांतों पर आधारित है, और किसी भी पूर्वाग्रह या संयम से मुक्त है। एक बार यह सुनिश्चित हो जाने के बाद, निर्णय लेने वाले के पक्ष में "प्रशंसा के अंतर" का सिद्धांत लागू हो जाएगा।”

डी.

ई.

एफ.

जी.

7 (2011) 7 एस. सी. सी. 338

एच.

43. एलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड में।(ऊपर), यह न्यायालय

देखा गयाः-

“27. एक पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी की अवधारणा पर्यावरण न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांतों का अपमान है और 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के लिए एक अभिशाप है।जैसा कि कॉमन कॉज के फैसले में कहा गया है, यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है और अपूरणीय क्षरण का कारण बन सकता है।एक पूर्वव्यापी ईसी या एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी पर्यावरण न्यायशास्त्र के लिए विदेशी होने का कारण यह है कि एक ईसी जारी करने से पहले, वैधानिक अधिसूचना पर्यावरण पर एक प्रस्तावित गतिविधि के संभावित परिणामों के अध्ययन के अलावा, दिमाग के सावधानीपूर्वक अनुप्रयोग की गारंटी देती है।निर्णय लेने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को पूरा करने के बाद ही ईसी जारी किया जा सकता है।सार्वजनिक सुनवाई, जांच, दायरा और मूल्यांकन जैसी आवश्यकताएं निर्णय लेने की प्रक्रिया के घटक हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय लेने की गणना में औद्योगिक गतिविधि या मौजूदा औद्योगिक गतिविधि के विस्तार के संभावित प्रभावों पर विचार किया जाए।पूर्व कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देने से अनिवार्य रूप से ईसी के अनुदान के बिना औद्योगिक गतिविधियों के संचालन को मंजूरी मिल जाएगी। ईसी के अभाव में ऐसी कोई शर्त नहीं होगी जो पर्यावरण की रक्षा करे।इसके अलावा, अगर ई. सी. को अंततः अस्वीकार कर दिया जाता, तो पर्यावरण को अपूरणीय नुकसान होता।मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, पर्यावरण कानून एक पूर्व पोस्ट फैक्टो मंजूरी की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता है।यह दोनों के विपरीत होगा

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

एहतियाती सिद्धांत के साथ-साथ सतत विकास की आवश्यकता।"

44. भले ही इस न्यायालय ने अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) में पूर्व कार्योत्तर मंजूरी की निंदा की, लेकिन इस न्यायालय ने संबंधित इकाइयों को बंद करने का निर्देश नहीं दिया, बल्कि औद्योगिक इकाइयों से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के उपायों का पता लगाया।इस न्यायालय ने कहाः-

जी.

"हालाँकि, चूंकि विस्तार किया गया है और उद्योग काम कर रहा है, इसलिए हम उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरे संयंत्र को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं समझते हैं।"

एच.

567

डी. स्वामी वी. कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

ए.

45. अधिसूचना इस प्रकार है। 804 (ई) दिनांक 14 मार्च 2017

अलेम्बिक फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड **(**ऊपर**)** में जारी नहीं किया गया था।अलेम्बिक में

फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (ऊपर) यह न्यायालय 2002 के एक परिपत्र की औचित्य और/या वैधता की जांच कर रहा था जो 27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना के साथ असंगत था, जो वैधानिक था।27 जनवरी 1994 की ई. आई. ए. अधिसूचना, जैसा कि ऊपर बताया गया है, 14 सितंबर 2006 की अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है।

बी.

46. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि ईसी प्राप्त करने की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।एक इकाई को स्थापित किया जा सकता है या आवश्यक पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के अधीन विस्तार करने की अनुमति दी जा सकती है।ई. सी. पर्यावरण के दृष्टिकोण से इकाई स्थापित करने के लिए स्थल की उपयुक्तता और पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपकरणों के अस्तित्व की शर्त पर प्रदान किया जाता है।भावी पीढ़ियों की रक्षा करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, यह अनिवार्य है कि प्रदूषण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए।किसी भी परिस्थिति में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अनियंत्रित रूप से संचालित करने और पर्यावरण को खराब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

सी.

डी.

47. कार्योत्तर पर्यावरणीय मंजूरी आमतौर पर नियमित रूप से नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए।जहां कार्योत्तर अनुमोदन से इनकार करने के प्रतिकूल परिणाम कार्योत्तर अनुमोदन के अनुदान द्वारा संचालन के नियमितीकरण के परिणामों से अधिक हैं, और संबंधित प्रतिष्ठान अन्यथा आवश्यक प्रदूषण मानदंडों के अनुरूप है, तो कार्योत्तर अनुमोदन लागू नियमों, विनियमों और/या अधिसूचनाओं के सख्त अनुरूप कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए।किसी मामले में, विचलित उद्योग को 'प्रदूषक भुगतान' के सिद्धांत पर भारी जुर्माना लगाकर दंडित किया जा सकता है और पर्यावरण की बहाली की लागत उससे वसूल की जा सकती है।

ई.

एफ.

48. यह दोहराया जाता है कि ई. पी. अधिनियम पूर्व पोस्ट फैक्टो ई. सी. को प्रतिबंधित नहीं करता है। कुछ छूट और यहां तक कि नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और/या लागू आदेशों के सख्त अनुपालन में कानून के अनुसार पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी का अनुदान, उपयुक्त मामलों में, जहां परियोजनाएं पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन में हैं, अनुज्ञेय नहीं है।जैसा कि देखा गया है।

जी.

इस न्यायालय द्वारा इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड (ऊपर) में, यह न्यायालय नहीं कर सकता है

अर्थव्यवस्था या इकाइयों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों और अन्य लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता से अनजान होना और अपने अस्तित्व के लिए इकाइयों पर निर्भर होना।

एच.

49. पूर्व पोस्ट फैक्टो ईसी को आम तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए, और निश्चित रूप से पूछने के लिए नहीं।साथ ही पूर्व कार्योत्तर मंजूरी और/या अनुमोदन को पांडित्यपूर्ण कठोरता के साथ अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, चाहे संचालन को रोकने के परिणाम कुछ भी हों।

50. हमारे सुविचारित विचार में, एनजीटी ने सही पाया कि जब अपीलार्थी की जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा को संचालित करने के लिए आवश्यक सहमति के साथ संचालित किया जा रहा था, तो इसे पूर्व पर्यावरण मंजूरी के अभाव के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता था।

इस अपील में उठाए गए/शामिल मुद्दों को इस न्यायालय के फैसले में पूरी तरह से शामिल किया गया है।

बी.

इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड **(**उपरोक्त**)** और पाहवा प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड।

(ऊपर)।यह न्यायालय इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा का संचालन पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के हित में है।केवल पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव के आधार पर सुविधा को बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।अपील में एन. जी. टी. के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जैसा कि के. एस. पी. सी. बी. और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सही तर्क दिया गया है।देरी से अपील पर रोक लगा दी जाती है।किसी भी मामले में, अपील कानून का कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं उठाती है।इसलिए याचिका खारिज कर दी जाती है।

सी.

डी.

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.